न्यायालय जिला कलेक्टर (आरबीट्रेटर) टोंक

(चिन्मयी गोपाल आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 07 / 2010

प्रविष्टि दिनांक 28.09.2010

1–भेरू पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी सौहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
2–बालू पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी सौहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
3–प्रभू पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी सौहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
4–नाथी पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी सौहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
5–छोटू पुत्र भूरा जाति गुर्जर निवासी सौहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0
6–मु0अमरी बैवा भूरा जाति गुर्जर निवासी सौहेला तहसील पीपलू जिला टोंक राज0

.... प्रार्थीगण

बनाम

1–सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति,राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 12 (अतिरिक्त जिला कलेक्टर) टोंक

2–परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राज मार्ग प्राधिकरण, परियोजना इकाई, नेशनल हाइवे नं0 12 टोंक।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5)राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित (1) श्री तेजमल जैन,अभिभाषक प्रार्थीगण
(2) श्री रामधन सैनी, व श्री दीपक शर्मा अभिभाषक अप्रार्थी संख्या–2

निर्णय

दिनांक 30.05.2022

प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण मे ग्राम सौहेला तहसील पीपलू की भूमि [illegible] वर्गमीटर का मुआवजा विपक्षीगण द्वारा गलत निर्धारण कर डीएलसी द[illegible] पर निर्धारित किया गया है। प्रार्थी राष्ट्रीय राजमार्ग के 200 [illegible] मुआवजा राशि प्राप्त करने का अधिकारी हैं। [illegible] 466/0[illegible] 03.06.2010 को निरस्त कर राष्ट्रीय राजमार्ग के 200 मी[illegible] भूमि का मुआवजा दिलवाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:20:39 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते

आर्बिट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई एवं अवार्ड पत्रावली 466/09 दिनांक 03.06.2010 तलब की गई एंव उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2 ने जवाब प्रार्थना पत्र व लिखित बहस प्रस्तुत की गई जिसमें अंकित किया कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के निर्माण हेतु प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1028/2 मे से कुल रकबा 8000 वर्गमीटर वाके ग्राम सोहेला मे अवाप्त की गई है। अवाप्त भूमि का अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी होने के पश्चात प्रार्थीगण को 3 सी के अन्तर्गत आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोंई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की जिसके पश्चात धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेंशन जारी किया गया तथा भूमि अन्तिम रूप से केन्द्र सरकार मे निहित हो गई। प्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया था, परन्तु प्रार्थीगण द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार भाव का आकंलन सब रजिस्टार द्वारा प्राप्त बाजार भाव मौके पर भूमि की स्थिति उपयोगिता का ध्यान रखते हुये मुआवजे की राशि का निर्धारण किया गया है। जमीन की किस्म बारानी--3 राजस्व रिकार्ड मे अंकित थी, प्रार्थी की भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से 200 मीटर की परिधी मे नही थी। सक्षम प्राधिकारी द्वारा सर्म्पूण तथ्यो को मध्यनजर रखते हुये अवार्ड जारी किया है जो उचित है। अतः प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

हमने बहस अभिभाषक प्रार्थीगण व अभिभाषक अप्रार्थी संख्या--2 सुनी। जवाब/लिखित का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावजात अवार्ड पत्रावली तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 अति0 जिला कलेक्टर टोंक द्वारा प्रार्थी की भूमि ख0नं0 1028/2 मे से 8000 वर्गमीटर,किस्म जमीन बारानी–3 वाके ग्राम सोहेला का अधिनियम की धारा 3 (ए) व 3 (डी) अनुसार मुआवजे का निर्धारण नियमानुसार किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा राष्ट्रीय राजमार्ग के 200 मीटर की परिधी की भूमि की डी0एल0सी0 दर से चाहा गया है, परन्तु उनके द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग के 200 मीटर की परिधी मे भूमि होने बाबत कोई साक्ष्य–सबूत पेश नहीं किया है। अतः प्रार्थना पत्र सारहीन व तथ्यहीन होने से खारिज किया जाता है। तलबिदा रिकार्ड मय निर्णय प्रति सक्षम प्राधिकारी भूमि अवाप्ति राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–12 अतिरिक्त जिला कलेक्टर, टोंक को प्रेषित किया जावे।

निर्णय आज दिनाक 30.05.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Chinmayee Gopal
Date: 2023.02.04 16:20:39 IST
Reason: SelfAttested

(चिन्मयी गोपाल)
आर्बीट्रेटर N.H.–12
(जिला कलेक्टर)
टोंक (राज.)

न्यायालय जिला कलेक्टर